भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2034
सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

न्यूनतम मजदूरी की जगह जीवनयापन मजदूरी को अपनाना

2034. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाखों लोगों को गरीबी से उबारने के लिए न्यूनतम मजदूरी की जगह जीवनयापन मजदूरी को अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को कॉर्पोरेट क्षेत्र पर न्यूनतम मजदूरी की समस्या के समाधान के लिए तथा सभी मजदूरों के लिए जीवनयापन मजदूरी सुनिश्चित करने का दबाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का न्यूनतम मजदूरी की जगह जीवनयापन मजदूरी अपनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करने का प्रस्ताव है, जिससे कि श्रमिक और उनके परिवार अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें तथा गरिमापूर्वक जीवन जी सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी हेतु प्रावधान में न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में जीवन-निर्वाह भत्ते की लागत का उपबंध किया गया है। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मंहगाई के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी को सुरक्षित करने के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छः महीने में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मूल दरों पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते (वी.डी.ए.) के रूप में जीवन निर्वाह भत्ते में संशोधन करती है जो प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल और 01 अक्तूबर से प्रभावी होता है।

वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और इसे मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है एवं इसमें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में भी जीवन-निर्वाह भत्ते की लागत हेतु उपबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी को सार्वभौमिक रूप से सभी रोजगारों पर लागू किया जाता है और इस प्रकार यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथाउपबंधित अनुसूचित नियोजनों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की सीमित अनुप्रयोज्यता के दायरे से आगे ली जती है।

******